

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित रमाडी कनौली मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से प्रारम्भ होता है जो कनौली, धूर एवं मनधूरा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 1641 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.720 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.270 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 है० एवं नापभूमि 1.710 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखण नं०-1 इस समरेखण के अनुसार इस मार्ग का संरेखण रमाडी कनौली मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 0 नं० हियरपिन बैंड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखण नं०-2 इस समरेखण के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल रमाडी कनौली मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 0 नं० हियरपिन बैंड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं०-2 को निरस्त कर समरेखण नं०-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.720 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.270 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.00 एवं नापभूमि 1.710 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी० व चौड़ाई 9 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

सहायक अभियन्ता (निर्माण)
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

अधीक्षक अभियन्ता (निर्माण)
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट